


टीजी – फेम श्रृंखला
(लक्ष्य समूह – वित्तीय जागरूकता संदेश)



स्कूली
बच्चों

के लिए

वित्तीय
साक्षरता



वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक



संदेश १:

जरूरतें बनाम माँगे

संदेश २:

बैंकिंग से परिचय

संदेश ३:

निवेश, बीमा और पेंशन संबंधी बुनियादी बातें

संदेश ४:

शिक्षा ऋण

संदेश ५:

वित्तीय क्षेत्र की विनियामक संस्थाएं





संदेश १: जरूरतें बनाम माँगे

जरूरत



माँगे



जरूरत



माँगे



हमारे पैसों के कारगर प्रबंधन की पहली सीढ़ी है अपनी जरूरतों और माँगों के बीच के अंतर को समझने की हमारी क्षमता। ऊपर दिए गए चित्रों में हम देख सकते हैं कि जरूरतें अपरिहार्य हैं, जिन्हें टाल नहीं सकते, जबकि "माँगे" अनिवार्य नहीं हैं तथा उनकी प्राप्ति से हमें "अच्छा" लगता है। माँगों को हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं उन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है। जब हम अपनी ऐसी "माँगे" को पहचानना सीख जाएंगे और उन्हें टालने की आदत बना लेंगे तभी हम अपने अधिकतर वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे।

बजट बनाना (बजेटिंग)

बजट बनाना एक ऐसी कला है जिसमें हम अपनी आय और व्यय (खर्च) का संतुलन रखते हैं इसमें हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे खर्च हमारी आय से कम हों। खर्च के पश्चात यदि कुछ राशि शेष रह जाए, तो अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए उसका निवेश किया जा सकता है।

आय बनाम व्यय



उधार लेना





संदेश २: बैंकिंग से परिचय

<p>बचत तथा चालू खाते बैंक बुक, निधि अंतरण, डेबिट कार्ड, यूपीआई आदि जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं</p>	<p>बचत खाता</p> <ul style="list-style-type: none"> → इसे एकल रूप से या संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। → खाते में जमा—शेष पर मामूली ब्याज का भुगतान किया जाता है। → कुछ खातों में न्यूनतम शेष बनाए रखना आवश्यक हो सकता है। <p>चालू खाता</p> <ul style="list-style-type: none"> → मालिकाना कंपनियाँ, साझेदारी फर्म, सार्वजनिक तथा निजी कंपनियाँ, न्यास, व्यक्तियों का संघ, आदि जैसी कारोबारी संस्थाओं के लिए बनाए गए हैं। → जब तक कि खाता धारक के पास बैंक में निधियाँ शेष हैं तब तक जमा तथा आहरण की संख्या तथा राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। → खाते में शेष राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। <p>अवयस्कों के लिए बचत खाता</p> <ul style="list-style-type: none"> → किसी भी आयु के अवयस्क द्वारा अपने प्राकृतिक अथवा विधिक रूप से नियुक्त संरक्षक के माध्यम से बचत खाता खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले अवयस्कों की यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाते खोलने तथा परिचालित करने की अनुमति है। → 18 वर्ष की आयु जिसे भारत में बालिग (वयस्क) माना जाता है, हो जाने पर पहले के अवयस्क व्यक्ति को अपने खाते में जमा शेष की पुष्टि करनी चाहिए तथा यदि खाते को प्राकृतिक अभिभावक / विधिक अभिभावक द्वारा परिचालित किया जा रहा हो, तो सभी परिचालनगत प्रयोजनाओं के लिए नए परिचालनगत अनुदेश तथा पूर्ववर्ती अवयस्कों के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करके उन्हें रिकार्ड में रख लेना चाहिए।
<p>बैंक (ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमाराशियाँ स्वीकार करते हैं तथा ऋण प्रदान करते हैं)</p>	<p>जमा-राशियाँ</p> <p>आवर्ती जमा</p> <ul style="list-style-type: none"> → आवर्ती जमा को आम तौर पर आरडी भी कहा जाता है। → इसमें किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए कुछ नियत राशि को प्रति माह स्वीकार किया जाता है तथा उक्त अवधि की समाप्ति पर कुल राशि को ब्याज सहित वापस किया जाता है। ये जमाराशियाँ 6 महीने से 120 महीने तक की अवधि के लिए खोली जा सकती हैं। → ये उन व्यक्तियों के लिए उचित हैं जिनके पास अधिक मात्रा में बचत नहीं है लेकिन वे प्रति माह अल्प राशि की बचत करना चाहते हैं। → इनमें से राशि निकाली नहीं जा सकती है। तथापि बैंक परिपक्वता अवधि के पर्यंत खाता बंद करने की अनुमति दे सकते हैं। माह के भीतर भुगतान करने में हुई चूक पर अल्प दंड लग सकता है। <p>सावधि-जमा</p> <ul style="list-style-type: none"> → 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों तक की विशिष्ट अवधि के लिए सावधि—जमा या एफडी खाता खोला जाता है। → जमा—राशि और अवधि के अनुसार ब्याज की दरें निर्धारित होती हैं। → जमा—अवधि की समाप्ति पर एकमुश्त रूप में ब्याज का भुगतान किया जाता है, हालांकि इसमें आवधिक अंतरालों पर ब्याज प्राप्त करने का भी विकल्प मौजूद है। → परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले भी इस प्रकार की जमा का आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि खाताधारक ने यह विकल्प चुना हो।
<p>ऋण</p>	<p>वैयक्तिक ऋण</p> <p>इस प्रकार का ऋण किसी भी उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के ऋण प्रायः आपातकालीन जरूरतों, जैसे – चिकित्सा व्यय, विवाह संबंधी खर्च इत्यादि के लिए लिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर प्रायः अधिक होती है।</p> <p>वाहन ऋण</p> <p>इस प्रकार के ऋण वाहन (गाड़ी) खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों के माध्यम से खरीदे गए वाहनों (गाड़ियों) को ऋण देने वाले बैंक के नाम दूषिक्षक (हाईपोथीकेट) किया जाता है। ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होने पर बैंक ऐसे वाहनों को अपने कब्जे में ले सकते हैं।</p> <p>आवास-ऋण</p> <p>हर एक व्यक्ति अपना खुद का घर खरीदने का सपना देखता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है जिसे कई लोग वहन करने की स्थिति में नहीं होती है। बैंक ऐसे अंतर को पाठने के उद्देश्य से आवास ऋण देते हैं।</p> <p>शिक्षा ऋण:</p> <p>उच्चतर अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। उक्त छात्र का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाने तथा कमाई शुरू हो जाने पर वह ऋण की चुकौती कर सकता/सकती है।</p> <p>कृषि ऋण</p> <p>कृषकों/ किसानों की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण देते हैं। किसान इस ऋण की सहायता से बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर तथा खेती के लिए आवश्यक अन्य उपकरण खरीद सकते हैं।</p>



संदेश ३: निवेश, बीमा और पेंशन संबंधी बुनियादी बातें।

निवेश पौधा रोपण की तरह है। यदि नियमित रूप से निगरानी की जाती है तथा बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।



परंपरागत रूप से, निवेशक, स्वर्ण, जमीन और रियल एस्टेट को प्राथमिकता देते थे। हाल ही में, स्टॉक या म्युचुअल फंड जैसे वित्तीय संपत्तियों का चयन करने वाले निवेशकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

स्टॉक्स और म्युचुअल फंड

शेयर / स्टॉक – शेयर / स्टॉक एक कंपनी में स्वामित्व हित को दर्शाते हैं। शेयर, निवेशकर्ता को शेयरधारक अधिकार प्रदान करते हैं जिससे निवेशक वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं तथा उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये उत्पाद कंपनी द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त मुनाफे के आधार पर रिटर्न अर्जित करते हैं। इस रिटर्न में कंपनी के व्यवसाय की लाभप्रदता के आधार पर उतार-चढ़ाव हो सकता है। ये उत्पाद कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं लेकिन निवेशकों को निवेश करने से पहले कंपनी के व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति इन लिखतों में निवेश कर सकता है जिसका निवेश क्षितिज व्यापक हो।



स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता

निवेश, संसाधनों का आस्तियों या आस्तियों के समूह में किया गया वह आवंटन है, जिससे भविष्य में आय सुजित करने या मूल्य में बढ़ोतरी की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों द्वारा जमीन, व्यवसाय उद्यमों आदि में निवेश। स्टॉक मार्केट में बड़ी संख्या में लोग म्यूचुअल फंड्स या सीधे स्टॉक में ट्रेडिंग के माध्यम से निवेश कर रहे हैं।

म्यूचुअल फंड वह प्रणाली है जिसमें निवेशकों को यूनिट जारी करके संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है तथा प्रस्ताव दस्तावेजों में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश किया जाता है। प्रतिभूतियों में जो निवेश होता है वह उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक क्रास-सेक्शन में फैला होता है जिससे जोखिम कम हो जाता है। विविधीकरण समग्र जोखिम को कम कर देता है क्योंकि आमतौर पर सभी शेयर एक ही समय में एक ही दिशा में समान रूप से नहीं बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड, निवेशकों को उनके द्वारा निवेश किए गए धन की मात्रा के अनुसार इकाईयां जारी करते हैं। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को यूनिट धारक के रूप में जाना जाता है।

म्यूचुअल फंड आमतौर पर विभिन्न निवेश उद्देश्यों के साथ कई योजनाओं के रूप में होते हैं जिसे समय-समय पर शुरू किया जाता है। म्यूचुअल फंड को जनता से निधि एकत्र करने से पहले भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत होना जरूरी है जो कि प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है।

ग्रोथ / इक्विटी उन्मुख्य योजना

ग्रोथ फंड का लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि हेतु पूंजी संबंधी मूल्य में वृद्धि प्रदान करना है। इस तरह की योजनाएं आम तौर पर इक्विटी में अपने मूल निधि का एक बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। ऐसे फंड में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है।

आय / ऋण उन्मुख्य योजना

आय फंड का लक्ष्य निवेशकों को नियमित और स्थिर आय प्रदान करना है। ऐसी योजनाएँ आम तौर पर निश्चित आय प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड, कॉरपोरेट डिबेंचर्स, सरकारी प्रतिभूतियां और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इक्विटी योजनाओं की तुलना में ऐसे फंड कम जोखिम भरे होते हैं।

भारत के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से 5000 से अधिक कंपनियों के शेयर निवेश के लिए उपलब्ध हैं। स्टॉक को दलालों के माध्यम से खरीदा जा सकता है जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं।





बीमा का परिचय



बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी तब आय की निरंतरता हेतु योजना बना सकता है जब कुछ घटनाओं जैसे कि विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या बुढ़ापे से उसकी आजीविका अर्जित करने की क्षमता बाधित होती है।



वैशिक रूप से, बीमा व्यवसाय को जीवन बीमा और साधारण बीमा में वर्गीकृत किया गया है। जीवन बीमा पॉलिसी को सुरक्षा की लाभकारी नीतियां कहा गया है और आम तौर पर कमाऊ सदस्य की मौत के अप्रत्याशित परिस्थिति के बदले उनके परिवार की रक्षा करने का एक साधन माना जाता है।



इसके अलावा, यहां विभिन्न प्रकार की ऐसी जीवन बीमा पॉलिसियां हैं जो बचत को इकट्ठा करने में मदद करती हैं तथा जीवन बीमा को दीर्घकालिक निवेश का एक माध्यम बनाती है। अतः इसे जीवन के विभिन्न चरणों में जरूरतों को पूरा करने हेतु एक बचत और निवेश विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। सामान्य बीमा उद्योग, व्यक्तियों, परिवारों, व्यवसायियों और उद्योगों को अप्रत्याशित आपदा, उनकी आस्तियों और संपत्तियों के नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके समाज को बहुत लाभ पहुंचाता है।

पेंशन का परिचय



यह जानना आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी क्योंकि यह अलग—अलग व्यक्तियों की परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकता है। सेवानिवृत्ति की जरूरतों की गणना करते समय ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं जीवन प्रत्याशा, मुद्रास्फीति और सेवानिवृत्ति की आय।



मुद्रास्फीति उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती लागत है। यह सेवानिवृत्ति की जरूरतों को दो तरीकों से प्रभावित करता है। पहला, इससे सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है जिससे सामान की उसी मात्रा को खरीदना महंगा हो जाता है। दूसरा, मुद्रास्फीति के कारण सेवानिवृत्ति की बचत का भी मूल्य कम हो जाता है। रिटायरमेंट फंड का निर्माण करते समय इन दोनों कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए।




राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था के दौरान, जब लोगों को आय का नियमित स्रोत नहीं मिलता है, वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने की एक पेंशन योजना है। यह स्वैच्छिक आधार पर 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एनपीएस की सदस्यता कोई भी ले सकता है जिसके माध्यम से वह कार्यशील जीवन के दौरान व्यवस्थित रूप से बचत और निवेश करने हेतु सक्षम हो जाएगा। इस योजना में भाग लेने के लिए वार्षिक आधार पर न्यूनतम ₹.500 की बचत करनी होगी। जब कोई सेवानिवृत्त हो जाएगा, सामान्य रूप से 60 वर्ष की उम्र में, तो धन का एक हिस्सा उन्हें मिल जाएगा और शेष मासिक आधार पर आहरण कर सकते हैं। एनपीएस में एक निश्चित सीमा तक की बचत कर मुक्त है।



संदेश ४: शिक्षा ऋण

शिक्षा ऋण विकल्प की लोकप्रियता प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ऋण के माध्यम से उच्च शिक्षा की लागत के लिए वित्तपोषण के विकल्प खोज रहे हैं। शिक्षा ऋण की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जो न केवल शिक्षा ऋण पर जानकारी उपलब्ध करवाता है, बल्कि कई बैंकों हेतु एकल विंडो आवेदन प्रक्रिया भी उपलब्ध करवाता है।



<https://www.vidyalakshmi.co.in>

चरण १ पंजीकरण

चरण २ एक फार्म भरें

चरण ३ कई बैंकों में आवेदन करें

विद्या लक्ष्मी (<https://www.vidyalakshmi.co.in>), शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लाभ के लिए विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है। यह विभिन्न बैंकों की शिक्षा ऋण योजनाओं के बारे में सभी सूचनाएँ उपलब्ध करवाने हेतु एकल विंडो इलैक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म है। पोर्टल पर उपलब्ध समान्य शिक्षा ऋण आवेदन विद्यार्थियों को कई बैंकों में आवेदन करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के द्वारा विद्यार्थी कहीं भी, किसी भी समय शिक्षा ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा अपने आवेदन की स्थिति को देख एवं खोज सकते हैं।

इस पोर्टल से एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, तथा 40 से अधिक बैंक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत हैं।

शिक्षा ऋण पर महत्वपूर्ण नोट:

- आईबीए द्वारा निर्मित मॉडल शिक्षा ऋण योजना 2015 के अनुसार, उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण राशि की अधिकतम सीमा भारत में ₹.10 लाख तथा विदेश में अध्ययन हेतु ₹.20 लाख है।
- ₹.4 लाख तक शिक्षा ऋण की सुविधा लेने हेतु किसी मार्जिन / जमानत की आवश्यकता नहीं है।
- ऋण का पुनर्भुगतान ऋण के सभी वर्गों के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए समान मासिक किस्तों में होगा।
- पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के उपरांत पुनर्भुगतान प्रारम्भ होगा।



संदेश ७: वित्तीय क्षेत्र की विनियामक संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

भारतीय रिज़र्व बैंक देश की सर्वोच्च मुद्रा प्राधिकरण और केंद्रीय बैंक है। इसे 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधान के अनुसार स्थापित किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य निर्देश और निगरानी भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा गया है। केंद्रीय बोर्ड को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में चार स्थानीय बोर्ड द्वारा समर्थित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

- मुद्रा जारी करना: भारत सरकार के साथ-साथ आरबीआई राष्ट्र की मुद्रा, डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन एवं स्वच्छ और वास्तविक नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- सरकार का बैंकर: भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार का बैंकर है और जिन राज्य सरकारों ने इसके साथ समझौता किया है उनके लिए वह बैंकर के रूप में कार्य करता है।
- बैंकों के लिए बैंकर: बैंकों के बैंकर के रूप में, आरबीआई अंतर बैंक समाशोधन और निपटान, बैंकों के लिए धन हस्तांतरण के योग्य साधन, सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए बैंकों के खातों को बनाए रखना और अंतिम उधार दाता के दायित्वों का निर्वहन करता है।
- मौद्रिक नीति का परिचालन: मूल्य स्थिरता सतत विकास के लिए आवश्यक शर्त है। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है।
- विकास का कार्य: भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्देश्य (क) अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, (ख) देश की वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए डिजाइन किए संस्थानों को स्थापित करना, (ग) सस्ती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार और (घ) वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- बैंकों का विनियामक और पर्यवेक्षक: बैंकिंग प्रणाली के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, ग्राहक के हितों के अनुकूल बैंकिंग कार्यों का सुव्यवस्थित विकास हेतु एक फ्रेमवर्क और निवारक और सुधारात्मक उपाय के माध्यम से समग्र वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियामक: आरबीआई देश में अधिकृत सुरक्षित, सुदृढ़, कुशल, सुलभ तथा भुगतान प्रणाली के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना : वित्तीय व्यवस्था की निरंतर निगरानी के माध्यम से आरबीआई वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है।



अन्य वित्तीय विनियामक

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को 1988 में एक प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को एक स्वायत्त वैद्यानिक निकाय बनाया गया। सेबी की स्थापना प्रमुखतः प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। इसे प्रतिभूति बाजार के विकास और उसे बढ़ावा देने तथा बाजार को नियंत्रित करने का कार्य भी सौंपा गया है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) एक वैद्यानिक निकाय है जिसे भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करने और विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इसकी स्थापना आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामक

भारत में वित्तीय प्रणाली यथा बीमा, पूँजी बाजार और पेंशन निधि संबंधी क्षेत्र रवतंत्र नियामकों द्वारा विनियमित होते हैं।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को स्थापित किया गया था। सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 के कार्यकारी आदेश के माध्यम से, पीएफआरडीए को पेंशन सेक्टर के विनियामक का कार्य सौंपा था। भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास और विनियमन संबंधी कार्य पीएफआरडीए को सौंपा गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।



लक्ष्य विशिष्ट वित्तीय साक्षरता सामग्री

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ से संबंधी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह था कि वित्तीय शिक्षा के लिए “सभी के लिए एक ही शिक्षा” वाला दृष्टिकोण शायद उचित न हो क्योंकि विभिन्न लक्ष्य समूहों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, सामग्री को विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ने पांच अलग-अलग समूहों अर्थात् किसान, लघु उद्यमियों, स्कूली बच्चों, एसएचजी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण किया है। यह पुस्तक कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री पर पांच पुस्तकों की श्रृंखला में से एक है।

अर्थवीकरण

यह पुस्तक, पढ़ने और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठक को वित्तीय साक्षर बनाना है। इसका उद्देश्य किसी भी विशेष वित्तीय उत्पाद/दरों या सेवा/ओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए पाठक को प्रभावित करना नहीं है।

प्रतिलिप्याधिकार


प्रथम संस्करण – अप्रैल 2018

सामग्री को पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है, बशर्ते स्रोत की जानकारी दी गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई,
द्वारा लिखित और प्रकाशित

अभिस्वीकृति

डिजाइन: कौशिक रामचंद्रन



वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400001, भारत

